न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या–28/2024–25

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या टौर तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
23/XII/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **(विक्रेता) 1. खुदीराम मांझी, 2. मुन्नालाल मांझी, दोनों के पिता–स्व0 मुचीराम मांझी, जाति–संथाल, ग्राम–रानीपोखर, थाना–हरला, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–रानीपोखर, थाना नं0–20, खाता नं0–115, प्लॉट नं0–2533, रकवा–7.50 डी0** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 485/भू0सु0, दिनांक 07.10.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2141 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जानेवाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान **मंगल मांझी दीगर** के नाम से दर्ज है। 2. भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है, केवाला सं0 3676 दिनांक 21.03.1961 है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध पितामही है। 4. (क) विक्रेता **ग्राम–रानीपोखर, थाना–हरला**, जिला–बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता **ग्राम–पंचोरा, थाना–हरला**, जिला–बोकारो के मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेता (ST मामले में) एक ही थाना क्षेत्र के हैं एवं बिक्री की जानेवाली भूमि उसी थाना क्षेत्र में है। 6. बिक्रेता एवं क्रेता (SC & OBC मामले में) लागु नहीं है। 7. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के संथाल हैं, जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक–स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास 3.17 **एकड़** जमीन अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 21 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमि हीन नहीं होंगे। 13. बिक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि केवाला से प्राप्त है, केवाला सं0 3676 दिनांक 21.03.1961 है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या **2/79** है। जमाबंदी बुटु माझीयान के नाम पर कायम है। लगान रसीद वर्ष **2024–25** तक निर्गत है। ऑनलाईन जमाबंदी के भाग **सं0–2, पृष्ठ सं0–79** में है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म **बाईद** है। 18. आवेदक को **मौजा–रानीपोखर, थाना नं0–20, खाता नं0–115, प्लॉट नं0–2533, रकवा–7.50 डी0** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवा टिप्पण

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 क्रमशः JHLRCO/2022/729087 दिनांक 29.12.2022, JHLRCO/2022/729117 दिनांक–29.12.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHRCO/2024/03095 दिनांक 24.9.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संधारित है।

अतः अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. खुदीराम मांझी, 2. मुन्ना लाल मांझी, दोनों के पिता–स्व0 मुचीराम मांझी, जाति–संथाल, ग्राम–रानीपोखर, थाना–हरला, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–रानीपोखर, थाना नं0–20, खाता नं0–115, प्लॉट नं0–2533, रकवा–7.50 डी0 भूमि (क्रेता) सुरेन्द्र बेसरा पिता–स्व0 हुसैन मांझी, जाति–संथाल, ग्राम–पंचोरा, थाना–हरला, जिला–बोकारो को विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.15 15:03:52 +05:30
Location: 192.168.1.42